रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰ (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 24] नई दिल्ली, जून 6—जून 12, 2004 शनिवार/ज्येष्ठ 16—ज्येष्ठ 22, 1926

No. 24] NEW DELHI, JUNE 6—JUNE 12, 2004 SATURDAY/JYAISTHA 16—JYAISTHA 22, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय

शिलांग, 12 मार्च, 2004

सा.का.नि. 189.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय स्टाफ कार ड्राइवर भर्ती नियम, 1995 का अधिक्रमण करते हुए, अन्यथा ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने से हटाई गई बातों के सिवाय, राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग के स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय स्टाफ कार ड्राइवर (वर्ग 'ग' पद) भर्ती नियम, 2004 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम 8 नवम्बर, 1996 से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम, संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्धारित पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान उक्त अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगा।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि.**—उक्त पदों से जुड़ी भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता तथा अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

5. **निरर्हता.**—कोई भी व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो जिसकी पत्नी/पति जीवित हो, या

(ख) जिस पुरुष/महिला ने पत्नी/पति के जीवित होते हुए भी विवाह किया हो, वह उक्त किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी :

परन्तु यह और कि यदि केन्द्र सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह संबंधित व्यक्ति तथा विवाह करने वाले दूसरे पक्ष की स्वीय विधि के तहत अनुज्ञेय है तथा वैसा करने के अन्य आधार भी हैं तो इस नियम के लागू होने से किसी को छूट दे सकती है।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार समझती है कि ऐसा किया जाना आवश्यक या समीचीन है, वहां ऐसे कारणों से, जिन्हें लिपिबद्ध किया जा सके, किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों और पदों के संबंध में इन नियमों के उपबंधों को शिथिल कर सकती है।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों से, समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य विशेष कोटि के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षणों और रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन या अचयन पद	क्या अतिरिक्त वर्षों के सेवा के लाभ, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत देय है
1	2	3	4	5	6
1. स्टाफ कार ड्राइवर विशेष ग्रेड	01* (2004) *कार्यभार के आधार पर संख्या में अंतर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा (तकनीकी) गैर-राजपत्रित/ गैर लिपिक वर्गीय	रु. 5000-150-8000	अचयन	नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों पर भी लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा, या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	यदि प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की जा रही हो, तो वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है ?	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है
11	12	13	14
प्रोन्नति द्वारा	ज्येष्ठता-सह उप-युक्तता आधार पर तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित रु. 4500-7000 के वेतनमान में स्टाफ कार ग्रेड-I	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. उप सचिव/निदेशक, पूर्वोत्तर परिषद्—अध्यक्ष	लागू नहीं

11	12	13	14
		2. सहायक महा डाकपाल (स्टाफ), शिलांग—सदस्य 3. सहायक निदेशक, अनुसूचित जाति/ अनु. जनजाति—सदस्य	

1	2	3	4	5	6
2. स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड-I	06* (2004) *कार्यभार के आधार पर संख्या में अंतर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा (तकनीकी) गैर-राजपत्रित/ गैर लिपिक वर्गीय	रु. 4500-125-7000	अचयन	नहीं

7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

11	12	13	14
प्रोन्नति द्वारा	रु. 4000-100-6000 के वेतनमान में 15 वर्ष की नियमित सम्मिलित सेवा के ग्रेड में साधारण ग्रेड और ग्रेड-II में छ: वर्ष की नियमित सेवा परन्तु व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के अधीन** ग्रेड-I में प्रारम्भिक नियुक्ति करते समय, साधारण ग्रेड में 15 वर्ष तक की सेवा पूरी करने वाले ड्राइवरों की ग्रेड-I में नियुक्ति पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर विचार किया जाएगा। परन्तु यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30-11-93 के का.ज्ञा सं. 22036/1/92-स्था. (डी) के अनुसार विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त पाए जाने और व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के अधीन होगा। *उपर्युक्त नव सृजित वेतनमानों में प्रारंभिक नियुक्ति करते समय, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग, 15 वर्ष तक सेवारत रहने वाले स्टाफ कार ड्राइवरों की सूची की छानबीन करेगा। ग्रेड-I में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर ग्रेड-I के पदों पर भर्ती के लिए इन ड्राइवरों के नाम पर विचार किया जा सकेगा परन्तु शर्त यह है कि वे विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा ज्येष्ठता-सह-वरिष्ठता आधार पर उपयुक्त पाए जाएं तथा व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण करें। इसी प्रकार 9 वर्ष तक सेवारत रहने वाले ड्राइवरों (इनमें वे भी शामिल हैं जिन्हें	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. उप सचिव/निदेशक, पूर्वोत्तर परिषद्—अध्यक्ष 2. सहायक महा डाकपाल (स्टाफ), शिलांग—सदस्य 3. सहायक निदेशक, अनुसूचित जाति/ अनु. जनजाति शिलांग—सदस्य	लागू नहीं

12
15 वर्ष तक सेवारत रहने के बावजूद रिक्तियों की कमी के कारण ग्रेड-I में नौकरी नहीं दी जा सकी थी) की ग्रेड-II में नियुक्ति पर विचार किया जा सकेगा। ऐसा करते समय इन पदों पर नियुक्ति के लिए विहित अर्हता और अन्य मानदंडों का पालन किया जाएगा। **** स्टाफ कार ड्राइवरों की ग्रेड-I में नियुक्ति (पाठ्यक्रम)** 1. उसे अंग्रेजी की संख्या और अंको का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। 2. उसे यातायात विनियम का पूरा ज्ञान होना चाहिए। 3. उसे पेट्रोल और डीजल इंजनों के कार्यकरण का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और उसमें इंजन में आने वाले दोषों की पहचान करने तथा छोटे मोटे दोषों को सुधार करने की योग्यता होनी चाहिए। 4. उसे कार्बुरेटर, प्लग साफ करने की जानकारी होनी चाहिए। **परीक्षा** उपर्युक्त के आधार पर व्यावहारिक परीक्षा।

1	2	3	4	5	6
3. स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड-II	5* (2004) *कार्यभार के आधार पर संख्या में अंतर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा (तकनीकी) गैर-राजपत्रित/ गैर लिपिकीय	रु. 4000-100-6000	अचयन	नहीं

7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

11	12	13	14
प्रोन्नति द्वारा	रु. 3050-4590 के वेतनमान में नौ वर्ष की नियमित सेवा वाले (साधारण ग्रेड के) स्टाफ कार ड्राइवरों में से प्रोन्नति द्वारा परन्तु व्यावसायिक परीक्षा पास करने के अध्यधीन*** ***स्टाफ कार ड्राइवरों की ग्रेड-II में नियुक्ति : 1. उसे अंग्रेजी की संख्या और अंकों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. उप सचिव/निदेशक, पूर्वोत्तर परिषद—अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक, अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति शिलांग—सदस्य	लागू नहीं

12	13
2. उसे यातायात विनियम का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। 3. उसमें दोषों की पहचान करने तथा छोटे मोटे दोषों के सुधार की योग्यता होनी चाहिए। 4. उसमें पहिए बदलने और ठीक से हवा भरने की योग्यता होनी चाहिए। **परीक्षा** उपर्युक्त के आधार पर व्यावहारिक परीक्षा।	3. सहायक महा डाकपाल (स्टाफ) शिलांग—सदस्य

1	2	3	4	5
4. स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण ग्रेड)	5* (2004) *कार्यभार के आधार पर संख्या में अंतर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा (तकनीकी) गैर-राजपत्रित/ गैर लिपिकीय	रु. 3050-75-3950-80-4590	गैर-सेलेक्शन

6	7	8	9	10
नहीं	18-25 वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य उम्मीदवारों के मामले में सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक की आयु तक शिथिलनीय तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के मामले में पैंतालीस वर्ष तक शिथिलनीय) **नोट** : आयु सीमा निश्चित करने की निर्णायक तिथि भारत में आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर के लद्दाख डिवीजन हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीती जिले, चम्बा जिले के पांगी सब डिवीजन और केन्द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि। **नोट** : रोजगार कार्यालय से प्राप्त होने वाले उम्मीदवारों के मामले में आयु सीमा निश्चित करने की तिथि वह अंतिम तिथि होगी जब तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	**अनिवार्य :** 1. मोटर कार का वैध लाइसेंस हो 2. मोटर कार की बनावट का ज्ञान हो 3. मोटर कार चलाने का 5 वर्ष का अनुभव हो 4. अंग्रेजी संख्या और आंकड़ों को पढ़-लिख सकने की योग्यता हो **वांछनीय :** कक्षा VI (उत्तीर्ण) या इससे ऊपर	लागू नहीं	दो वर्ष

169591 64

11	12	13	14
पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा चालीस प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, दस प्रतिशत, कालम 8 के अन्तर्गत अपेक्षित अर्हता रखने वाले वर्ग 'घ' कर्मचारी, डिस्पैच राइडर में से प्रोन्नति। ऐसा न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	केन्द्रीय/राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासन या सरकारी विभागों/केन्द्रीय/राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विश्वविद्यालयों में स्टाफ ड्राइवर या समकक्ष पद धारित व्यक्तियों में से आमेलन/प्रतिनियुक्ति।	(प्रतिनियुक्ति/स्थायीकरण) पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी। 1. उप सचिव/निदेशक, पूर्वोत्तर परिषद—अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक, अनु.जाति/अनु. जनजाति शिलांग—सदस्य 3. सहायक महा डाकपाल (स्टाफ) शिलांग—सदस्य	लागू नहीं

व्याख्यात्मक ज्ञापन :

1. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15-02-2001 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 43019/54/96-स्थापना (डी) के अनुसार रु. 5000-150-8000 के वेतनमान में स्टाफ कार ड्राइवर का ''विशेष ग्रेड'' नामक एक नया ग्रेड प्रारम्भ किया गया है। यह आदेश 8-11-1996 से प्रवृत्त हुआ और इसलिए 8-11-1996 से इन नियमों को लागू करना आवश्यक है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि 8-11-1996 से लागू किए जाने पर किसी भी चीज पर प्रतिकूल प्रभाग नहीं पड़ेगा।

[सं. एन.ई.सी./ए.डी.एम./13/2003]

आर. माथुर, उप सचिव

NORTH EASTERN COUNCIL SECRETARIAT

Shillong, the 12th March, 2004

G.S.R. 189.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of the North Eastern Council Secretariat Staff Car Drivers Recruitment Rules 1995, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Drivers in the Secretariat of the North Eastern Council Shillong, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat Staff Car Drivers (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 8th day of November, 1996.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, their classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of Post	Classification	Scale of Pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Civil Services (Pension) Rules 1972.
1	2	3	4	5	6
1. Staff Car Driver Special Grade	01* (2004) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Services (Technical) Non-Gazetted/ Non-Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Non-Selection	No

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment, or by promotion, or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, to be made
11	12
By Promotion	Staff Car Drivers Grade-I in the scale of pay of Rs. 4500—7000 with three years' regular service in the grade on the basis of Seniority cum-fitness

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Deputy Secretary/Director, North Eastern Council —Chairman 2. Assistant Post Master General (Staff) Shillong —Member 3. Assistant Director Scheduled Cast/ Scheduled Tribe —Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6
2. Staff Car Driver Grade-I	06* (2004) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Services (Technical) Non-Gazetted/ Non-Ministerial	Rs. 4500-125-7000	Non-Selection	No

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12
By Promotion	Staff Car Drivers Grade-II in the scale of pay of Rs. 4000-100-6000 with six years' regular service in the grade or fifteen years regular combined service in the Ordinary grade and grade-II. subject to passing of Trade Test.** While making initial appointment to Grade-I. Staff car Drivers who have completed not less than fifteen years of service in the ordinary grade will be considered for appointment to the posts in Grade-I to the extent of available vacancies, subject to being found fit by Department Promotion Committee and passing of Trade Test, in accordance with para 3 of DOPT's O&M No. 22036/1/92-Estt. (D) dt. 30-11-93. *While making initial appointment to the above newly created scales, each Ministry/Department will screen the list of Staff Car Drivers, who have rendered not less than 15 years of service, may be considered for appointment to the posts in Grade-I direct to the extent of availability of vacancies in that grade subject to being found fit by DPC on the basis of seniority-cum fitness and passing of trade test. In the same manner, Staff Car Drivers, who have rendered not less than 9 years service (including those who could not accommodated in Grade-I inspite of putting in 15 years of service for want of vcacancies), may be considered for appointm,ent to Grade II by following the same eligibility and other criteria prescribed for appointment to these posts. **Appointment to Grade I of Staff Car Drivers (Syllabus) 1. Must be able to raed English number & figures. 2. Must have a through knowledge of traffic regulation. 3. Must have a good knowledge of working of petrol & diesel Engines and be able to locate faults and rectify minor running defects. 4. Must be able to clear carburetor, plug etc. **Test** Pratical test based on the above.

13	14
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Deputy Secretary/Director, North Eastern Council —Chairman 2. Assistant Post Master General (Staff) Shillong —Member 3. Assistant Director Scheduled Cast/ Scheduled Tribe Shillong —Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6
3. Staff Car Driver Grade-II	05* (2004) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Technical) Non-Gazetted/ Non-Ministerial	Rs. 4000-100-6000	Non-Selection	No

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12
By Promotion	By Promotion from Staff Car Driver (Ordinary grade) in the pay Rs. 3045-4590 with nine years of regular service in the grade, subject to passing of Trade Test.*** ***Appointment to Grade II of Staff Car Drivers (Syllabus) 1. Must be able to read English numerals and figures. 2. Must have good knowledge of Traffic Regulation. 3. Must be able to locate faults and carry out minor running repairs. 4. .Must be able to change wheels and correctly inflate tyres. **Test** Pratical test based on the above.

13	14
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Deputy Secretary/Director, North Eastern Council, Shillong —Chairman 3. Assistant Director Scheduled Cast/ Scheduled Tribes Shillong —Member 2. Assistant Post Master General (Staff), Shillong —Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6
4. Staff Car Driver (Ordinary grade)	05* (2004) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Technical) Non-Gazetted/ Non-Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Non-Selection	No

7	8
Between 18-25 years (Relaxable for Government servants upto the age of Fourty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Schedules Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).	**Essential :** 1. Possession of valid Driving Licence for Motor Car. 2. Knowledge of Motor car mechanism. 3. 5 years experience in driving Motor car 4. Must be able to read and write English numerals and figures.

1695 GI/04

7	8
Note 1. The Crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for these in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Lakshadweep). **Note 2.** The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	**Desirable :** Class VI standard (Pass) or above.

9	10
Not applicable	Not applicable

11	12
Fifty per cent by direct recruitment forty per cent by deputation/absorption Ten per cent by promotion from Group 'D' staff. Despatch Rider, having the requisite qualification under column 8, failing which by deputation.	Absorption/deputation from persons holding post of Staff Car Driver or equivalent in the Central/States Government/Union Territory Administration or Government Departments/Central/State Public Sector Undertakings /Universities.

13	14
Departmental Promotion Committee for considering (Promotion/confirmation) consisting of :— 1. Deputy Secretary/Director, North Eastern Council, Shillong —Chairman 3. Assistant Director Scheduled Castes/ Scheduled Tribes, Shillong —Member 2. Assistant Post Master General (Staff), Shillong —Member	Not applicable

Explanatory Memorandum

1. A new grade of Staff Car Drivers called the 'Special Grade' has been introduced in the scale of pay of Rs. 5000-150-8000 vide DOP&T's O.M. No. 43019/54/96-Estt. (D) dt. 15-2-2001. This order came into force from 8-11-1996 and hence, it is necessary to make these rules effective from 8-11-1996.

2. It is certified that none will be adversely affected by implementation of the order w.e.f. 8-11-1996.

[F. No. NEC/ADM/13/2003]

R. MATHUR, Dy. Secy.